UPJB010035672026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा
पीठासीन अधिकारी– विवेक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–928/2026

अरमान आयु करीब 25 वर्ष पुत्र रजाबुल हसन, निवासी ग्राम पायती कलां, थाना डिडौली, जिला अमरोहा।

... ...आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–179/2026
धारा–109(1),352,115(2) व 3/5
भारतीय न्याय संहिता,
थाना –डिडौली, जिला अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 04.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त **अरमान** की ओर से जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार वादी मुकदमा **अहमद रजा** के द्वारा थाना डिडौली पर दिनांक 08.05.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी,जिसमें कथन किया गया कि दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 07:00 बजे सुबह उसके बड़े भाई मोहम्मद रजा अपने उधारी के एक लाख पच्चीस हजार रूपये रजाबुल हसन के घर लेने गये थे। जब उसके भाई मोहम्मद रजा ने रजाबुल हसन से पैसे मांगे, तो रजाबुल, अरमान, जीशान व आजम ने उसके भाई के साथ गाली–गलौंज की। जब उसके भाई ने इसका विरोध किया, तो सभी अभियुक्तगण ने एक राय होकर उसके भाई को लाठी–डण्डों से पीटना शुरू कर दिया, तभी अरमान ने यह कहते हुये कि तेरा रोज–रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, अपनी जेब से कैंची निकालकर उसके भाई के सीने, पीठ व अन्य कई जगह जान से मारने की नीयत से वार किये, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया। अभियुक्तगण उसे मरी हालत में छोड़कर भाग गये।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना झूठी व बनावटी है। यदि अभियुक्त का इरादा पीडित को जान से मारने का होता, तो वह स्वाभाविक रूप से कैंची के स्थान पर किसी घातक हथियार का प्रयोग करता। वादी के भाई मोहम्मद रजा से अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई धनराशि उधार नहीं ली गयी थी, बल्कि वादी पक्ष उनसे गांव की पार्टीबन्दी की चुनावी रंजिश रखता है। वादी के भाई को अन्यत्र चोट लगने का फायदा उठाते हुये उनके विरूद्ध झूठी घटना दर्शाकर मुकदमा लिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब सात घंटे विलम्ब से लिखायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 09.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 08.05.2026 की समय करीब 7:00 बजे सुबह की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 14:30 बजे दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण के द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के बड़े भाई मोहम्मद रजा के साथ गाली–गलौंज करते हुये लाठी–डण्डों से मारपीट करने,

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.04 17:02:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जान से मारने की धमकी देने तथा आवेदक अरमान द्वारा मोहम्मद रजा को जान से मारने की नीयत से कैंची से वार कर गंभीर रूप से घायल कर देने का आरोप है।

06. केस डायरी के पर्चा सं०–01 दिनांकित 08.05.2026 में चोटिल मौहम्मद रजा के कथन अन्तर्गत धारा 180 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आवेदक व सह–अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौंज व लाठी–डण्डों से मारपीट करना एवं आवेदक अरमान द्वारा चोटिल को जान से मारने की नीयत से सीने व पीठ पर कैंची से वार करने का कथन किया गया है।

07. केस डायरी में संलग्न चोटिल मोहम्मद रजा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांकित 08.05.2026 के अनुसार चोटिल के सीने व सिर पर **कटे** हुये घाव की चोटें आना पायी गयी हैं तथा चोटिल की जीवन–24 अस्पताल, अमरोहा की सप्लीमेंटरी मेडिकोलीगल रिपोर्ट के अनुसार उसे **घुपे** हुये घाव की चोट एवं पांचवी व छठी पसली में फ्रेक्चर होना बताया गया है। उक्त चोट को गंभीर व जीवन के लिए घातक होना भी बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त लगभग **25 दिनों** से अधिक से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिनाआवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अरमान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक उपरोक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक **प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये:–

1– आवेदक, विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक, गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक, मामले का विचारण प्रारम्भ होने पर न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत / जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4– आवेदक, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5– विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–04.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ता: आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक